ऑन लाईन नं. **RCMS 2021/245**

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर0ए0एस0
अपील इंतकाल प्रकरण सं0 44/2021

1. गुरशपिन्द्र कौर पुत्री श्री जसपाल सिंह पत्नी श्री राजपाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 16/17 एच घनजातियां तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. गुरशरण कौर पुत्री श्री सरदूल सिंह पत्नी श्री गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखपाल सिंह पुत्र श्री सरदूल सिंह जाति जटसिख निवासी 6 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरशरण सिंह पुत्र श्री सरदूल सिंह जाति जटसिख निवासी 6 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. गुरजीत कौर पत्नी श्री जसपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 6 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. हर्षविन्द्र सिंह पुत्र श्री जसपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 6 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर0।
6. हरजोत सिंह पुत्र श्रीमती कमलप्रीत कौर जाति जटसिख निवासी 6ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. ब्रह्मजोत सिंह पुत्र श्रीमती कमलप्रीत कौर जाति जटसिख निवासी 6 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (भू0अ0) श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश इन्तकाल संख्या 137 दिनांक 17.07.1999 तहसीलदार श्रीगंगानगर एवं आदेश कमांक 14 दिनांक 08.07.1999 जिसके आधार पर उक्त इन्तकाल दर्ज किया गया, बमुराद मन्सूखी आदेश व इन्तकाल

उपस्थित : 1. श्री संजय जनवेजा , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. रोबिन गुम्बर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ता 07

आदेश **दिनांक :–17.10.2022**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व इन्तकाल खिलाफ कानून व रूहादादे मिसल है, जो कि काबिले निरस्ती है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत जाकर, बिना अपीलांटा को सुनवाई का अवसर प्रदान किए तथा बिना अधिकारिता के एक मनमाना आदेश कमांक 14 दिनांक 08.07.1999 पारित करते हुए अपीलाण्ट की दादी श्रीमती सुमित्र कौर पुत्री श्री दयाल सिंह पत्नी श्री सरदूल सिंह जाति जटसिख निवासी 6 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से दर्ज कृषि भूमि वाके चक 6 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 11/2 में 10 बिस्वा, 12/2 में 10 बिस्वा, 13/2 में 10 बिस्वा, 14/2 में 10 बिस्वा, 15/2 में 10 बिस्वा , 16 ता 25, 10 बीघा कुल 12.10 बीघा नहरी मय खाला, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम जारी करने का आदेश प्रदान कर दिया, जिसके आधार पर अपीलाण्ट की दादी के

नाम से दर्ज भूमि जरिये इन्तकाल संख्या 137 दिनांक 17.07.1999 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से दर्ज कर दी गई जबकि उक्त भूमि में अपीलाण्ट व अन्य रेस्पोडेन्ट्स का हक वा हिस्सा बनता है। दिनांक 08.07.1999 को जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया उस समय अपीलाण्ट की आयु 18 वर्ष सें कम थी तथा अपीलाण्ट नाबालिग थी। अपीलाण्ट से उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से करने की कोई सहमति नहीं ली गई थी तथा यदि कोई सहमति दिखाई गई है तो उसका कोई औचित्य ही नहीं है क्योंकि नाबालिग के हितों की रक्षा करना न्यायालय का परम कर्तव्य माना जाता है। इस कारण उक्त आदेश व इन्तकाल अपीलाण्ट के हितों पर प्रारम्भ से ही शून्य है तथा निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 08.07.1999 में श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 05.11.1997 का हवाला देकर उक्त भूमि अकेली रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गुरशरण कौर के नाम रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया है जबकि श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अन्य वारिसान का हक वा हिस्सा समाप्त कर दिया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश का गलत अर्थ निकालकर विधि विरूद्व तरीके से उक्त आदेश व इन्तकाल दर्ज किया है जो कि निरस्त होने योग्य है। अपीलाण्ट की दादी ने अपने नाम की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से ट्रांसफर करने की कोई सहमति नहीं दी गई थी यदि कोई सहमति दिखाई गई तो वह झूठी व कूटरचित है क्योंकि उस समय अपीलाण्ट की दादी वृद्वावस्था में थी तथा अपना भला बुरा समझने की स्थिति में ना होने के कारण स्वतन्त्र सहमति देने में सक्षम नहीं थी। इसलिए उक्त आदेश व इन्तकाल निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि को पैतृक मानते हुए बंटवारा का आदेश रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के पक्ष में किया गया है, मगर उक्त भूमि पैतृक ना होकर श्रीमती सुमित्र कौर की स्वयं अर्जित सम्पति की श्रेणी में आती है। स्वयं अर्जित भूमि का बंटवारा करने का कोई अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को ना होने के कारण आदेश व इन्तकाल निरस्त होने योग्य है। अपीलाण्टा गांव 16/17 घनजातियां तहसील श्रीकरनपुर में रहती है, पारिवारिक घनिष्ठ विश्वास के कारण अपीलाण्ट ने कभी जमीन में से अपने हिस्सा के बारे में परिवार वालों से नहीं पूछा, अब प्रार्थीया को हैसीयत प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ी तो दिनांक 30.09.2021 को अपीलाण्ट पटवारी हल्का के पास गई तो अपीलाण्टा को उक्त इन्तकाल की जानकारी 30 सितम्बर 2021 को पटवारी हल्का के माध्यम से हुई, इसके पश्चात अपीलाण्ट दस्तावेज एकत्र करने की कार्यवाही करने में लगी रही, इसलिए माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हो गया। अपीलाण्टा ने जानबूझकर कोई देरी नहीं की है तथा जो देरी हुई है वह कण्डोन योग्य है। वैसे तो विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि किसी अनुचित एवं क्षेत्राधिकार से बाहर स्वीकृत इन्तकाल के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने में समयावधि बाधित नहीं हो सकती फिर भी कानूनी पेचिदिगियों से बचने के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र सलंग्न अपील है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्रमांक 14 दिनांक 08.07.1999 व इन्तकाल संख्या 137 दिनांक 17.07.1999 निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के बिन्दुओं को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत जाकर, बिना अपीलांटा को सुनवाई का अवसर प्रदान किए तथा बिना अधिकारिता के एक मनमाना आदेश क्रमांक 14 दिनांक 08.07.1999 पारित करते हुए अपीलाण्ट की दादी श्रीमती सुमित्र कौर पुत्री श्री दयाल सिंह पत्नी श्री सरदूल सिंह जाति जटसिख निवासी 6 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से दर्ज कृषि भूमि वाके चक 6 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 11/2 में 10 बिस्वा, 12/2 में 10 बिस्वा, 13/2 में 10 बिस्वा, 14/2 में 10 बिस्वा, 15/2 में 10 बिस्वा , 16 ता 25 10 बीघा कुल 12.10 बीघा नहरी मय खाला,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम जारी करने का आदेश प्रदान कर दिया, जिसके आधार पर अपीलाण्ट की दादी के नाम से दर्ज भूमि जरिये इन्तकाल संख्या 137 दिनांक 17.07.1999 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से दर्ज कर दी गई जबकि उक्त भूमि में अपीलाण्ट व अन्य रेस्पोडेन्ट्स का हक वा हिस्सा बनता है। दिनांक 08.07.1999 को जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया उस समय अपीलाण्ट की आयु 18 वर्ष सें कम थी तथा अपीलाण्ट नाबालिग थी। अपीलाण्ट से उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से करने की कोई सहमति नहीं ली गई थी तथा यदि कोई सहमति दिखाई गई है तो उसका कोई औचित्य ही नहीं है क्योंकि नाबालिग के हितों की रक्षा करना न्यायालय का परम कर्तव्य माना जाता है। इस कारण उक्त आदेश व इन्तकाल अपीलाण्ट के हितों पर प्रारम्भ से ही शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 08.07.1999 में श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 05.11.1997 का हवाला देकर उक्त भूमि अकेली रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गुरशरण कौर के नाम रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया है जबकि श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अन्य वारिसान का हक वा हिस्सा समाप्त कर दिया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश का गलत अर्थ निकालकर विधि विरूद्व तरीके से उक्त आदेश व इन्तकाल दर्ज किया है। अपीलाण्ट की दादी ने अपने नाम की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से ट्रांसफर करने की कोई सहमति नहीं दी गई थी यदि कोई सहमति दिखाई गई तो वह झूठी व कूटरचित है क्योंकि उस समय अपीलाण्ट की दादी वृद्वावस्था में थी तथा अपना भला बुरा समझने की स्थिति में ना होने के कारण स्वतन्त्र सहमति देने में सक्षम नहीं थी। अपीलाण्टा गांव 16/17 घनजातियां तहसील श्रीकरनपुर में रहती है, पारिवारिक घनिष्ठ विश्वास के कारण अपीलाण्ट ने कभी जमीन में से अपने हिस्सा के बारे में परिवार वालों से नहीं पूछा, अब प्रार्थीया को हैसीयत प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ी तो दिनांक 30.09.2021 को अपीलाण्ट पटवारी हल्का के पास गई तो अपीलाण्टा को उक्त इन्तकाल की जानकारी 30 सितम्बर 2021 को पटवारी हल्का के माध्यम से हुई, इसके पश्चात अपीलाण्ट दस्तावेज एकत्र करने की कार्यवाही करने में लगी रही, इसलिए माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हो गया। अपीलाण्टा ने जानबूझकर कोई देरी नहीं की है तथा जो देरी हुई है वह कण्डोन योग्य है। वैसे तो विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि किसी अनुचित एवं क्षेत्राधिकार से बाहर स्वीकृत इन्तकाल के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने में समयावधि बाधित नहीं हो सकती फिर भी कानूनी पेचिदिगियों से बचने के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सलंग्न अपील है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कमांक 14 दिनांक 08.07.1999 व इन्तकाल संख्या 137 दिनांक 17.07.1999 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में उक्त इन्तकाल विधि विरूद्व जारी किया गया है या नही के सम्बन्ध में कोई आपत्ति पेश नहीं कि ना ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सहमति बंटवारा आदेश कमांक 14 दिनांक 08.07.1999 के विरूद्व कोई आपत्ति पेश की है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के विरूद्व जारी नोटिस तारीख पेशी दिनांक 07.04.2022 पर तामील कुनिन्दा ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया सायला मौके पर नहीं मिली। अतः नोटिस की एक प्रति सायला के भतीजे ने प्राप्त की गई, रिपोर्ट सेवा में पेश है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अनुपस्थित। उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 गुरशरण कौर को रजि0 नोटिस तारीख पेशी दिनांक 25.05.2022 हेतु जारी किया गया, जिस पर नोटिस लेने से इन्कार रिपोर्ट प्राप्त हुई। इस प्रकार रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 विधिवत् तामील के बावजूद अनुपस्थित है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर का इन्तकाल संख्या 137 दिनांक 17.07.1999 जो आदेश कमांक 14 दिनांक 08.07.1999 की पालना में सहमति बंटवारे के आधार पर

दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा सहमति बंटवारा में अपीलांट नाबालिक है या नहीं कि जांच नहीं की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार अपीलांटा का जन्म 15.08.1981 को हुआ है जबकि बंटवारानामा का आदेश 08.07.1999 को पारित किया गया है। सहमति बंटवारानामा का आदेश पारित करते समय अपीलांटा 17 वर्ष 10 माह 23 दिन थी। इस प्रकार सहमति द्वारा पारित बंटवारानामा का जो आदेश पारित किया है, वह प्रथमदृष्टया अनुचित प्रतीत होता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जिसके नाम से सहमति बंटवारानामा से भूमि दर्ज की गई है वह विधिवत तामील होने के बावजूद भी अनुपस्थित है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 14 दिनांक 08.07.1999 की पालना में सहमति बंटवारे के आधार पर दर्ज इन्तकाल संख्या 137 दिनांक 17.07.1999 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि विधिवत् सुनवाई की जाकर पुनः आदेश पारित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 17.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. हरीतिमा)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर